पृ.क्र.-

पिछला	अगला

तत्काल

18

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल, 462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक:31 जुलाई, 2012

क्रमांक–एफ–19–71/2012/1/4 :: राज्य शासन द्वारा वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण की दृष्टि से, वन क्षेत्र से बाहर लेकिन वन सीमा से 250 मीटर के अंदर यदि खनिज के महत्व एवं उपलब्धता को देखते हुए खनि पट्टा स्वीकृत करने के संबंध में विचार किया जाना है, तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अनुशंसा करने के लिए संभाग स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1.	संबंधित संभागायुक्त	अध्यक्ष
2.	संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी)	सदस्य
3.	संबंधित कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी जो अपर कलेक्टर स्तर से कम का न हो	सदस्य
4.	संबंधित वन मण्डलाधिकारी (वन मंडल के भारसाधक अधिकारी)	सदस्य
5.	संबंधित जिले के खनिज अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा	सदस्य

उक्त समिति के सदस्य सचिव संभाग मुख्यालय के खनि अधिकारी होगें।

समिति निम्नानुसार कार्य संपादित करेगी:–

(i) संभागायुक्त अपने प्रभार के जिलो की प्रकरणों की समीक्षा माह में एक बार अनिवार्य रूप से करेगें।

(ii) संभागान्तर्गत जिलों से संभाग मुख्यालय, खनि अधिकारी को वन सीमा से बाहर परन्तु वन सीमा से 250 मीटर के भीतर के खनि रियायत के प्रस्ताव भेजे जायेंगे।

(iii) संभाग स्तरीय समिति को प्रस्तुत समस्त प्रस्तावों पर संबंधित वन मण्डलाधिकारी का स्पष्ट अभिमत सभी प्रकरणों में प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) संभाग मुख्यालय के खनि अधिकारी का दायित्व होगा कि वे जिलों से प्राप्त समस्त प्रस्तावों को समीक्षात्मक टीप सहित प्रतिमाह समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करेगें एवं समिति के निर्णय के उपरांत कार्यवाही विवरण तैयार कर समिति के निर्णय से सभी जिलों को अवगत करायेगें।

(v) समिति के समक्ष यदि वनभूमि, राजस्व वनभूमि एवं ऐसे क्षेत्र जो वन अधिनियम, 1927 की धारा–4 के तहत अधिसूचित है, से संबंधित प्रस्ताव विचारार्थ भेजे जाते है तो उन पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होगें।

निरन्तर.......2

2. वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन की बेहतर रोकथाम के लिए वन सीमा से 250 मीटर पत्थर फड़ी लगाने की अनुमति लीज धारकों को नहीं दी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0सी0 पंत)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 31 जुलाई

पृ0क्र0 एफ–19–71/2012/1/4

प्रतिलिपिः–

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव।
2. निज सचिव मा0 मंत्री जी, वन, म0प्र0 भोपाल।
3. निज सचिव मा0 राज्यमंत्री जी, वन, म0प्र0 भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वन विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित।
6. सचिव, म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
7. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

55524
09/08/12

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

भोपाल, दिनॉकः 01 अगस्त

पृ0क्र0–एफ–5–16/1981/10–3

प्रतिलिपिः–

1. उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि में अंकित सर्व संबंधितों की ओर प्रेषित
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी/कार्य आयोजना/सूचना प्रोद्यौगिकी भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू–प्रबंध/संरक्षण/वन भू–अभिलेख म0प्र0 भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1224
9/8/12

अवर सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग